राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1344/2014/उदयपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त डी, वाणिज्यिक कर विभाग,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राज मन्दिर इलेक्ट्रोनिक्स,
उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 1048/2015/उदयपुर

मैसर्स राज मन्दिर इलेक्ट्रोनिक्स,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त डी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....विभाग की ओर से
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.03.2018

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील एवं क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र क्रमशः विभाग एवं व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.03.2009 के जरिये कायम की गई कर राशि रूपये 48,699 एवं शास्ति राशि रूपये 1,44,023 में से अतिरिक्त कर राशि रूपये 48,699/–, शास्ति राशि रूपये 450/– एवं धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 435/– को यथावत् रखते हुए शेष रही मांग राशियों को अपास्त किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों अपील एवं क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की

लगातार.....2

एक—एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स एवं इलेक्ट्रिक वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006—07 में प्रस्तुत विवरण प्रपत्र वैट—10 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनके द्वारा डिश एन्टीना का विक्रय 4 प्रतिशत की कर दर से किया गया, जबकि डिश एन्टीना अनुसूची पंचम में 12.5 प्रतिशत की दर से होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कर राशि रूपये 48,699 एवं शास्ति राशि रूपये 1,44,023 कुल मांग राशि रूपये 1,92,722/— का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करके शास्ति राशि रूपये 450/— एवं धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 435/— को यथावत् रखते हुए शेष रही मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा प्रथम अपील 1344/2014 एवं इसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा द्वितीय क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र 1048/2015 कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी द्वारा पृथक से एन्टीना की बिक्री न की जाकर रिमोट कन्ट्रोल, सेट टॉप बॉक्स, डिश, केबलवायर एवं कैमरा के साथ की जाती है, जिसका बिल व्यवहारी द्वारा Antena System and Accessories (Dish TV) के नाम से जारी किया जाता है, जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने के कारण व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किया गया है। इस प्रकार जानबूझकर किये गये करापवंचन के लिए शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने अपने कथन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार Party A of Schedule IV कॉलम 14 में एन्टिना को 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य गया है, इस प्रकार उनके द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान कोई करापवंचन का कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कथन किया कि आलौच्य अवधि में उनके द्वारा किये गये समस्त खरीद बिक्री को उनके द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है, तो उन पर शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक होगा। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायिक निर्णय **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी**

लगातार.....3

फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी का उद्धरण प्रस्तुत किया। आगे उन्होंने अपने कथन में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि आलौच्य अवधि के दौरान डिश एन्टीना पर किस दर से कर का आरोपण किया जायेगा, एवं व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इसके लिए सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा आलौच्य अवधि में जारी अनुसूची चतुर्थ का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा, जो कि इस प्रकार है—

Part-A
(See S.No. 65 of Schedule IV)
Goods under Category of IT Products

S. No.	Description of Goods	Rate of Tax %
1.	.....	.....
.....	.....	.....
13.	Radio communication receivers, Radio Pagers.	4
14.	**Aerials and antennas.**	**4**
15.	LCD Panels, LED panels.	4
16.	.....	.....

7. उक्त अनुसूची से स्पष्ट है कि आलौच्य अवधि के दौरान एन्टीना पर कर की दर 4 प्रतिशत थी, परन्तु व्यवहारी द्वारा सिर्फ एन्टीना ना बेचा जाकर उसके साथ रिमोट कन्ट्रोल, सेट टॉप बॉक्स, डिश, केबलवायर एवं कैमरा की बिक्री भी की गई थी, जो कि 12.5 प्रतिशत से कर योग्य है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उचित है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 61(2) के तहत् अगर कोई व्यवहारी गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाता है तो उस पर शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अपनी समस्त खरीद बिक्री को लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। उनके द्वारा किसी भी संव्यवहार को छिपाया नहीं गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दिये गये न्यायिक निर्णय **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी** से स्पष्ट है कि कि व्यवहारी द्वारा जब सभी प्राप्तियां नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज हैं तथा करापवंचन का कोई मनोभाव नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का विस्तृत आदेश स्पष्ट है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं उक्तानुसार ही क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य